न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 035/2018

1. लखविन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह उम्र 10 वर्ष जाति कुम्हार साकिन वार्ड नं. 03 नई खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शंन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान नाबालिग जरिये कुदरति वली माता जसवीर कौर पत्नी मेजर सिंह जाति कुम्हार साकिन वार्ड नं.03 नई खुन्जा हनुमानगढ़ जक्शंन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— प्रार्थी

–:बनाम:–

1. गंगाराम पुत्र जगर सिंह जाति कुम्हार साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
3. कैनरा बैंक शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. जसप्रीतकौर पुत्री गंगासिह पत्नी जगसीर सिह जाति कुम्हार साकिन मक्कासर हाल आबाद अयालकी पीलीबंगा।

—— अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बावत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओम प्रकाश अरोड़ा —— प्रार्थी
2. श्री जसपाल सिंह दहिया —— अप्रार्थी सं. 1 व 4
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी सं. 3

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 21/10/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है।

यह कि कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 20 जेआरके के प.नं. 44/249 किला नं. 2, 3 की 0.506 हैक्ट., प.नं. 44/250 किला नं. 16, 21 ता 25 की 1.329 हैक्ट. 1.895 हैक्ट. में 1/4 हिस्सा अर्थात 0.458 हैक्ट. तथा चक नं. 19 एमओडी के प.नं. कुल 30/270 किला नं. 6, 7, 14, 15 की 0.999 हैक्ट., प.नं. 31/270 किला नं. 6 ता 10, 11 ता 25 की 4.289 हैक्ट., प.नं. 31/271 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्ट. कुल 11.613 हैक्ट. में 2.903 हैक्ट. में 1/3 हिस्सा अर्थात 0.9676 हैक्ट. व चक 12 एमओडी के प.नं. 49/270 किला नं. 11 ता 20 की 1.690 हैक्ट. में 0.634 हैक्ट. में 1/3 हिस्सा अर्थात 0.211 हैक्ट. में शेष 0.052 हैक्ट. हिस्सा अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।
यह कि प्रार्थी के पिता मेजर सिंह फौत हो चुके है। जिसका प्रार्थी प्रार्थी की माता जसवीर कौर कुल दो ही वारीस है। यह कि अप्रार्थी सं.1 गंगाराम के एक लड़का मेजर सिंह था। यह कि उक्त समस्त सम्पति अप्रार्थी सं.1 को जरिये पैतृक ... के रूप में प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा इसी ... 1/2 ... काश्त है।
यह कि उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा ... जिसे प्रार्थी अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी है जिसे घोषित किया जावे।
यह कि अप्रार्थी सं.1 उक्त भूमि को अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए रहन बेय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने पर आमाद है व उसके द्वारा चक 12 एमओडी की 0.158 हैक्ट. हिस्सा भूमि को विक्रय भी कर दिया गया है व इससे पूर्व भी उसके द्वारा भूमि विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:32:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

की जा चुकी है। यदि वह अपने मकसद मे कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त ही मुशकिल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी सं.1 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधि करी है कि वह अपने नाम वर्णित उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी करे । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 अपने नाम वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 20 जेआरके के प.नं. 41/249 किला नं. 2, 3 की 0.506 हैक्ट., प.नं. 44/250 किला नं. 16, 21 ता 25 की 1.329 हैक्ट. कुल 1.895 हैक्ट. में 1/4 हिस्सा अर्थात 0.458 हैक्ट. तथा चक नं. 19 एमओडी के प.नं. 30/270 किला नं. 6, 7, 14, 15 की 0.999 हैक्ट., प.नं. 31/270 किला नं. 6 ता 10, 11 ता 25 की 4.289 हैक्ट., प.नं. 31/271 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्ट. कुल 11.613 हैक्ट. में 2.903 हैक्ट. में 1/3 हिस्सा अर्थात 0. 9676 हैक्ट. व चक 12 एमओडी के प.नं. 49/270 किला नं. 11 ता 20 की 1.690 हैक्ट. में 0.634 हैक्ट. में 1/3 हिस्सा अर्थात 0.211 हैक्ट. हिस्सा में शेष रही 0.052 हैक्ट. भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक पक्षिय बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया शपथ पत्र पर विसवास करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि अप्रार्थीगण चक 20 जेआरके के प.नं. 41/249 किला नं. 2, 3 की 0.506 हैक्ट., प.नं. 44/250 किला नं. 16, 21 ता 25 की 1.329 हैक्ट. कुल 1.895 हैक्ट. में 1/4 हिस्सा अर्थात 0.458 हैक्ट. तथा चक नं. 19 एमओडी के प.नं. 30/270 किला नं. 6, 7, 14, 15 की 0.999 हैक्ट., प.नं. 31/270 किला नं. 6 ता 10, 11 ता 25 की 4.289 हैक्ट., प.नं. 31/271 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्ट. कुल 11.613 हैक्ट. में 2.903 हैक्ट. में 1/3 हिस्सा अर्थात 0. 9676 हैक्ट. व चक 12 एमओडी के प.नं. 49/270 किला नं. 11 ता 20 की 1.690 हैक्ट. में 0.634 हैक्ट. में 1/3 हिस्सा अर्थात 0.211 हैक्ट. हिस्सा में शेष रही 0.052 हैक्ट. भूमि को रहन बैय न करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयावी की कोई आशा नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 को सिद्व करने का भार प्रार्थी पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 अस्वीकार है क्योंकि उक्त मृतक मेजर सिंह की माता बलवीर कौर पत्नी गंगा सिंह अभी जीवित है जो कि मृतक मेजर सिंह की प्रथम श्रेणी की वारीस है व उक्त मेजर सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि में उसका भी हिस्सा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी नें अपने दावा में मुझ अप्रार्थी सं.1 गंगा सिंह के विधिक वारीसो को छुपाकर यह दावा प्रस्तुत किया है। मुझ अप्रार्थी सं. 1 के एक जीवित पुत्री जसप्रीत कौर पु[illegible] जाति कुम्हार साकिन मक्कासर हाल आबाद अयालकी तहसील पीलीबंगा [illegible]नगढ़ व प्रार्थी के दावा की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में उक्त जसप्रीत कौर का भी [illegible] हक व हिस्सा है। जसप्रीत कौर के आधार की प्रति सलग्न जवाब है। यह कि [illegible] पत्र की दफा 5 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि [illegible] मुझ अप्रार्थी सं. 1 की स्वः अर्जित कृषि भूमि है व प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि नही है व न ही प्रार्थी नें अपने प्रार्थना पत्र में पैतृकता बाबत कोई सबूत व कथन पेश किया है। यह कि वाद पत्र की दफा 6 अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:32:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि वाद पत्र की दफा 7 अस्वीकार है क्योंकि उक्त प्रार्थी की माता नें अपने पति यानी मेरे पुत्र मेजर सिंह की हत्या की है जिस बाबत एक आपराधिक प्रकरण एफआईआर नं. 419/2017 पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के जरिये न्यायालय में जेरकार है। जिसकी प्रति मैने अपने जबाब में पेश की है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर अप्रार्थी संख्या 4 को पक्षकार संयोजित किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी न. 4 जसप्रीत कौर की ओर से निम्न प्रकार से है–

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 अस्वीकार है। वादी का उक्त अनवान का दावा श्री मान जी के न्यायालय में जेरकार है। जिसमें वादी की कोई कामयाबी नहीं होगी ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित वाके तहसील पीलीबंगा का चक 20 जे आर के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 17/13 का प.न. 44/249 मु.न. 12 कि.न. 2, 3 व प.न. 44/250 मु.न. 21 कि.न. 16/5/.114, 16/6/.013, 21/1/.165, 21/2/.025, 22 ता 24, 25/1/.228, 25/2/.025 कुल 1.835. नहरी मय गै. मु. खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा अप्रार्थी न. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। तहसील पीलीबंगा का चक 19 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 14/15 का प.न. 30/270 मु.न. 22 कि.न. 6/1/.189, 6/2/.051, 7/1/.228, 7/2/.025, 14, 15/1/.228, 15/2/.025 व प.न. 31/270 मु.न. 23 कि.न. 6/.013, 7/.063, 8/.089, 9/.139, 10/.190, 11 ता 25 व प.न. 31/271 मु.न. 28 कि.न. 1 ता 25 की कुल 11.613 हैक्ट. नहरी, अनकमाण्ड मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में 968/11613 हिस्सा अप्रार्थी न. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। व वाके तहसील पीलीबंगा का चक 12 एम ओ डी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 34/7 का प.न. 49/270 मु.न. 19 किला नं. 11/1/.085, 12/1/.085, 13/1/.085, 14/1/.085, 15/4/.073, 15/5/.012, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 20 की कुल 1.690 हैक्ट. नहरी मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि में से 21/676 हिस्सा अप्रार्थी न. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जबकि प्रार्थी ने सही रकबा का अंकन नहीं किया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 अस्वीकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की दफा 3 में सही तथ्यों को छुपा कर अधूरा सजरा खान दान पेश किया होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सजरा खान दान निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। जो कि प्रार्थी ने झूठ अंकित की है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित तमाम कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होना स्वीकार है। शेष ... अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:32:16 IST
Reason: Self Attested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा ... कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। प्रार्थी ने सही हक व हिस्सा का वर्णन कि... बिना मिथ्या कथनों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी कोई हक व हिस्सा की घोषणा पाने का हकदार नहीं है। प्रार्थी कोई स्थाई या अस्थाई निशेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दू नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खारिज किया जावे। अतः उपारोक्त अनुसार जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि वादी के पिता की मृत्यु हो चुकि है पैत्रक सम्पति है इस लिए अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला स्थाई की जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा कथन किया गया कि गंगाराम के पिता की स्वअर्जित जिसकी गंगाराम के पक्ष में वसीयत है पैत्रक का सिद्धांत लागू नहीं होता है प्रार्थी की दादी जीवित है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। भूमि पैत्रक नहीं है इसलिए कोई अनुतोष नहीं है प्रार्थना पत्र खारिज हो। बहस पर मनन व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायिक दृष्टांतो का समान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना इस लिए उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि अप्रार्थी सं. 1 निर्बाध रूप से एकल रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोश में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेश आज दिनांक 21/10/24 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:32:16 IST
Reason: SelfAttested